कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड द्वितीय विराटनगर

क्रमांकः 227 दिनांक 02 मार्च 2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

विषयः– प्रत्यावर्तन 0.9885 हैक्टेयर वन भूमि सड़क निर्माण कार्य एनएच–8 किमी नं. 181 (आतेला) से एसएच–08 ए (खाचरियावास कल्याणपुरा रेनवाल) किमी 0/0 से 13/0 तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के संबंध में।

प्रसंगः– एफ()एफसीए/उवसंजउ/2022–23/14018 दिनांक 08.12.2022 एवं श्रीमान उप महानिरीक्षक , क्षेत्रीय अधिकारी के पत्रांक 8 बी/राज()/48/2022–जेपीआर दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निम्नानुसार ईडीएस जवाब प्रस्तुत है।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र में लिखा गया है कि कौनसे अधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लघंन के जिम्मेदार है इस संदर्भ में निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(अ) सड़क का 112 मीटर हिस्सा जो कि तीन टुकड़ों में बना हुआ है के क्रम में निवेदन है कि उक्त संड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1992–1994 की अवधि में बनाई गयी है। अतः यह सड़क पूर्व में निर्मित है तथा नई सड़क नहीं बनायी गयी है

(ब) उक्त 112 मीटर पूर्व में निर्मित सड़क तीन टुकड़ों में बनायी गई है व यह टुकड़े घोषित वन क्षेत्र से बाहर है तथा राजस्व रिकार्ड में वन भूमि में दर्ज है लेकिन वन विभाग के रिकार्ड में वन भूमि दर्ज नहीं है। (क्योंकि यह नोटिफाईड फोरेस्ट नहीं है) संभवत इसकी जानकारी उस समय वन विभाग को भी नहीं थी।

अतः जानबूझकर एफसीए 1980 का उलल्घंन नहीं किया गया है। तदानुसार ईडीएस अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत है।

(अनिल कुमार मीणा)
सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड विराटनगर द्वितीय

कार्यालय सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड–जयपुर द्वितीय

कमांकः– 203   दिनांकः– 6/2/23

सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड–विराटनगर।

विषयः– सम्पर्क सड़क एनएच–8 बागावास अहिरान से आंतेला वाया झिण्डा वाला बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लेख है कि उक्त सड़क कृषि उपज़ मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 1992 से 1994 की अवधि में निर्मित करवाई गई थी जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. एवं लागत राशि रूपये 18.00 लाख है।

इस विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित करवाई गई अन्य सड़कों के साथ इस सड़क को भी आपके विभाग को सम्भलवाया जा चुका है।

पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।

6/2/23
(शिवराम जाटव)
सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड–जयपुर द्वितीय

कमांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, खण्ड–जयपुर प्रथम को सूचनार्थ।

(शिवराम जाटव)
सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड–जयपुर द्वितीय